FORM- A

IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE/ ADDITIONAL CIVIL JUDGE, (JUNIOR DIVISON) KHATIMA, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR **PRESENT: ASHISH TIWARI JUDICIAL MAGISTRATE / ADDITIONAL CIVIL JUDGE, (JUNIOR DIVISON) KHATIMA, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR** **[CRIMINAL CASE NO.- 900/2022]** **COMPUTER NO. 350/2025** **C.N.R. NO.- UKUS0B-002093-2022** **[DATE OF JUDGEMENT- 14.11.2025]** **Ashok kumar VS Yogendra kumar Singh** **U/S- 138 N.I. Act, 1881** **Police Station- Sitarganj**

COMPLAINANT	**Ashok Kumar**
REPRESENTED BY	**SHRI S.K. Tripathi**
ACCUSED	**Yogendra Kumar Singh**
REPRESENTED BY	**SHRI Prakash Chandra Dhali**

FORM-B

Date of Persenting complaint	**10-12-2021**
Date On which Statement u/s 251 Cr.P.C of Accused Recorded	**21-07-2023**
Date of Commencement of evidence	**11-08-2023**
Date of Framing of 313 crpc statement of accused	**16-12-2024**
Date on which Argument heard and Judgement is reserved	**07-11-2025**
Date of the Judgement	**14-11-2025**
Date of the Sentencing Order, if any	**14-11-2025** **(Judgement is annexed with this)**

(आशीष तिवारी)
न्यायिक मजिस्टेट/अपर सिविल जज
खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of Accused	Date Accused Surrendered In The Court	Date of Release on Bail	Offences charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 of Cr.PC
01	**Yogendra Kumar Singh**	-------	--------	**138 N.I. ACT, 1881**	**convicted**	**Simple Imprisionment of One Year and fine of Rs. 1,90,000/-(One Lakh Ninty thousand) in default of fine six month extra Simple Imprisionment. Out of which compensation of Rs. 1,85,000/-(One lakh Eighty Five Thousand) shall be paid to the complainant and Rs. 5,000/- (Five thousand) shall be deposited in Govt. Treasury as fine. (Judgement is annexed with this)**	------

।। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।।

पीठासीनः श्री आशीष तिवारी (उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा)

C.N.R. NO.- UKUS0B-002093-2022
वाद संख्या– 350/2025
कम्पयूटर संख्या– 140/2022

अशोक कुमार –परिवादी

प्रति

योगेन्द्र कुमार सिंह –अभियुक्त

अन्तर्गत धारा–138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881
थाना–सितारगंज

परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री एस0के0 त्रिपाठी।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता–श्री प्रकाश चन्द्र ढाली।

दिनांक–14.11.2025

निर्णय

परिवादी अशोक कुमार ने उक्त परिवाद अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम,

1881 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्व प्रस्तुत किया। परिवादी द्वारा परिवाद को दायर करने में हुई देरी के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 प्रकीर्ण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी तामिली के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश दिनांकित 23.06.2022 को परिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 स्वीकार किया गया। तथा परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 दर्ज रजिस्टर किया। परिवादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0, 1973 प्रस्तुत किया गया एवं धारा 202 द0प्र0सं0, 1973 के प्रयोजनार्थ मूल चैक, अनादरण स्लिप, नोटिस इत्यादि पेश किये। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी आदेश अन्तर्गत धारा 204 द0प्र0सं0, 1973 पारित किये जाने हेतु सुना गया, तत्पश्चात न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 29.07.2022 को अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह को अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया गया।

02. संक्षेप में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अभिकथन इस प्रकार हैं कि परिवादी निम्नलिखित निवेदन करता है –परिवादी व्यापारी है, एवं शिव टिम्बर ट्रेडर्स के नाम से लकड़ी क्रय विक्रय का कार्य करता है। अभियुक्त के परिवादी से व्यापारिक सम्बंध चले आ रहे थे और अभियुक्त ने परिवादी से साल चिरान (लकड़ी) 50 घन फुट मुवलिक 1,45,000/– रूपये की क्रय करने हेतु दिनांक 10.09.2021 को बात की एवं रकम अदायगी हेतु अभियुक्त ने एक अग्रिम चेक रु. 1,45,000/– दिनांक 10.09.2021 चेक संख्या 261046 पंजाब नेशनल बैंक शाखा सितारगंज का परिवादी को उसकी फर्म के नाम का दिया। परिवादी द्वारा उक्त लकड़ी को अभियुक्त को दिनांक 03.10.2021 को प्रदान दिया गया। परिवादी द्वारा उक्त चेक अपने खाता संख्या 012160100000045 में धनराशि आहरण हेतु अल्मोड़ा अर्बन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सितारगंज, जिला ऊधम सिंह नगर में जमा किया तो अल्मोड़ा अर्बन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सितारगंज जिला ऊधम सिंह नगर ने चेक अनादरित रसीद दिनांक 07.10.2021 को परिवादी को दी जिसमें खातेदार अभियुक्त के खाते में धन अपर्याप्त (Funds Insuffincient) होने के कारण उक्त चेक अनादरित हो गया। परिवादी को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अपने खाते में समुचित धनराशि न होने पर भी परिवादी को उक्त चेक धोखा देने के उद्देश्य से दिया है जो कि अपराध की कोटि में आता है। परिवादी को उक्त चेक की धनराशि का भुगतान ना मिलने पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनॉक 20.10.2021 को बजरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस बावत चेक में वर्णित धनराशि मांग हेतु प्रेषित करवाया, जो अभियुक्त को विधिनुसार दिनाक 22. 10.2021 को प्राप्त हो गया, इसके उपरान्त भी अभियुक्त ने परिवादी को उक्त चेक में वर्णित धनराशि का भुगतान आज दिनोंक तक नहीं किया है। अभियुक्त ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के अर्न्तगत अपराध किया है, जिस कारण न्यायालय में तलब कर दण्डित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त को न्यायालय में तलब कर दण्डित कर परिवादी को उक्त चेकों में वर्णित धनराशि मु. 1,45,000/– एक लाख पैतालीस हजार रूपये मय साधारण ब्याज के दिलाये जाने की कृपा करें।

03. परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 एवं

धारा 202 द0प्र0सं0, 1973 के अन्तर्गत मूल चैक, एक किता असल बैंक रिटर्न मेमो, एक किता नोटिस, एक किता रसीद व नेट ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। धारा 200 एवं 202 द0प्र0सं0, 1973 के अन्तर्गत परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदत्त दस्तावेजों के आधारों को पर्याप्त मानते हुए न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 29.07.2022 को अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.07.2025 को अपनी जमानत करायी गयी।

04. अभियुक्त को दिनांक 21.07.2023 को अभियोग का सारांश अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0, 1973 बताया गया, जिसमें अभियुक्त ने कथन किया कि''दिनांक 09.09.2021 को मैंने 20 दिन पहले लकड़ी शीशम व सागौन को मंगाने के एवज में चैक दिया था। माल की क्वालिटी अच्छी न निकालने पर उक्त माल को वापिस कर दिया। चैक मांगने पर वापिस नहीं किया। मैंने पहले ही चैक दे दिया था। नोटिस मिला था। नोटिस प्राप्ति पर परिवादी से बात करने पर परिवादी ने कहा कि माल दूसरा भेज देगें लेकिन दूसरा माल नहीं भेजा। परिवादी द्वारा माल नहीं भेजा गया परिवादी को मैंने सामान पहुंचाने से पहले ही चैक दे दिया था। फिर मैंने समान जगह दूसरी जगह से लिया।'' अभियुक्त ने विचारण चाहा।

05. परिवादी की ओर से अपना साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए परिवादी अशोक कुमार ने स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र बतौर सी0डब्लू0–01 व इकबाल का साक्ष्य शपथ पत्र बतौर सी0डब्लू0–02 पेश किया। परिवादी साक्षी सी0डब्लू0–01 व सी0डब्लू0–02 से प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई।

06. परिवादी का साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त के बयान अन्तर्गत 313 द0प्र0सं0 16.12.2024 को अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा कथन किया कि '' मेरे द्वारा परिवादी से भवन निर्माण कार्य हेतु परिवादी की फर्म से ली गयी थी। मेरे द्वारा परिवादी को उक्त चैक दिया गया था परन्तु परिवादी द्वारा जो लकड़ी मुझे भेजी गयी, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब थी। मैंने वह सारी लकड़ी परिवादी के भेजने पर उसी दिन वापिस भिजवा दी। परिवादी ने फिर अच्छी लकड़ी नहीं भेजी और यह चैक लगा दिया।'' अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0, 1973 में अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का कथन किया।

07. अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द0प्र0सं0, 1973 के अनुपालन में अपना व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानती प्रस्तुत किये गये।

08. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं समस्त पत्रावली का परिशीलन किया।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

09. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय को यह विनिश्चित करना है कि क्या परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरूद्व अपने अभियोग को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

10. उपरोक्त मामले में अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 का अभियोग है।

<u>अभियुक्त के विरूद्व अभियोग अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के सन्दर्भ में अवधार्य बिन्दु और उनका सकारण विनिश्चय</u>

11. <u>अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के सन्दर्भ</u>

<u>**में विधि प्रावधान यह है कि–**</u>

<u>**धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 खाते में धन की अपर्याप्तता इत्यादि के कारण चैक का अनादरण–**</u> जब एक व्यक्ति किसी बैंकार के पास अपना खाता रखता है और उसे बनाये रखता है, उक्त खाते से भुगतान हेतु किसी राशि का कोई चैक किसी व्यक्ति को किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के आंशिक या पूर्ण भुगतान स्वरूप प्रदान करता है और उक्त चैक बैंक द्वारा बिना भुगतान किये इस कारण वापस कर दिया जाता है कि उक्त खाते में धन की अपर्याप्तता है या खाता धारक एवं बैंक के मध्य करार द्वारा निश्चित की गई धन भुगतान सीमा से, चैक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि अधिक है तो ऐसा व्यक्ति अपराध करने का दोषी माना जायेगा और अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह ऐसे कारावास से दण्डित होगा जिसकी अवधि दो वर्ष हो सकती है अथवा अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो चैक की धनराशि के दो गुनी रकम हो सकती है या अर्थदण्ड और कारावास दोनों से दण्डित किया जायेगा।

इस धारा के प्रावधान उस समय तक प्रभावी नहीं होगें जब तक कि–

(क) चैक, जारी किये जाने की तिथि से (तीन माह) के अन्दर अथवा वैधता की तिथि तक, जो अग्रिम हो, बैंक को प्रस्तुत न किया हो,

(ख) अदाता या सम्यक में धारक, जैसी कि स्थिति हो, कथित राशि के भुगतान की मांग चैक के आदेश से चैक के भुगतान न होने एवं वापसी की सूचना प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर करे, और

(ग) ऐसे चैक का आदेशक आदाता को या सम्यक अनुक्रम में धारक, जैसी कि स्थिति हो, को उक्त धनराशि का भुगतान उक्त नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर करने में असफल होता है।

<u>**स्पष्टीकरण–**</u> इस धारा के उद्देश्य से '' ऋण या अन्य दायित्व'' का अर्थ विधितः अनुयोज्य ऋण या अन्य दायित्व है।

12. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किये जाने के लिये निम्नलिखित अवर्धाय बिन्दु हैं, जिनको परिवादी पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है।

(i) क्या परिवादी प्रश्नगत् चैक का सम्यक अनुक्रम धारक है, और क्या प्रश्नगत चैक अभियुक्त ने हस्ताक्षरित कर परिवादी को प्रदान किया ?

(ii) क्या परिवादी ने विहित परिसीमा अवधि के भीतर प्रश्नगत चैक को अपने खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया, जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया ?

(iii) क्या चैक अनादरण के पश्चात परिवादी ने अभियुक्त को नोटिस दिया, अभियुक्त द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त किया गया, और उक्त नोटिस की तामीली होने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को चैक में उल्लेखित धनराशि का धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 में वर्णित विहित परिसीमा के अन्तर्गत संदाय नही किया गया ?

(iv) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के लिये दिया गया था ?

13. प्रथम अवधार्य बिन्दु यह अवधारित किया गया है कि क्या परिवादी प्रश्नगत् चैक का सम्यक अनुक्रम धारक है, और क्या प्रश्नगत चैक अभियुक्त ने हस्ताक्षरित कर परिवादी को प्रदान किया ?

इस सम्बन्ध में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 धारा 7 में ''पानेवाला'' (Payee) को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार–

<u>धारा 7 ''पानेवाला''–</u> लिखत में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है लिखत द्वारा निर्दिष्ट हो, ''पानेवाला'' कहलाता है।

पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 धारा 8 में ''धारक'' (Holder) को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार–

<u>धारा 8 ''धारक''–</u> वचन–पत्र, विनिमय–पत्र या चैक के ''धारक'' से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है। जहां कि वचन–पत्र या चैक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहां उसका धारक वह व्यक्ति है, जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था।

पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 धारा 9 में ''सम्यक अनुक्रम धारक'' (Holder in Due Course) को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार–

<u>धारा 9 ''सम्यक अनुकम धारक''–</u> ''सम्यक अनुक्रम धारक'' से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो–वचन–पत्र, विनिमय–पत्र या चैक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी पर्याप्त हेतुक रखे बिना, उस दशा में, जिसमें कि वह वाहक को देय है, उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है, अथवा उस दशा में जिसमें कि वह आदेशानुसार देय है, उसका पानेवाला या पृष्ठांकिती हो गया है।

14. परिवादी ने अपने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर में स्थित का एक चैक सं0 261046, मु0 1,45,000/–रूपये, दिनांकित 10.09.2021 का अपने हस्ताक्षर करके परिवादी से लकड़ी का क्रय किये जाने के संबंध में प्रदान किया। परिवादी द्वारा उक्त लकडी अभियुक्त को प्रदान की गयी। उक्त चैक को परिवादी द्वारा अपने बैंक, अल्मोड़ा अर्बन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सितारगंज में भुगतान हेतु जमा कराया। जो कि अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण दिनांक 07.10.2021 को अनादरित परिवादी को प्राप्त हुआ।

उक्त चैक संख्या 261046 व उक्त चैक के अर्प्यात निधी की टिप्पणी के साथ अनादरण मैंमो दिनांकित 06.10.2021 पत्रावली पर संलग्न है।

अपने साक्ष्य शपथ पत्र में भी परिवादी ने इसी आशय का कथन किया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र सी0डब्ल्यू–01 व इकबाल का साक्ष्य शपथ पत्र सी0डब्ल्यू0–02 प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्षीगण से सी0डब्ल्यू0–01 व सी0डब्ल्यू0–02 से प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

अभियुक्त के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0, 1973 व 313 द0प्र0सं0, 1973 में यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को शीशम व लकड़ी मगांने की एवज में उक्त चैक दिया गया था। परिवादी द्वारा अपने उक्त बयानों में उक्त चैक पर अपने हस्ताक्षर होने को भी

अस्वीकार नहीं किया गया है।

अतः कहा जा सकता है कि प्रथम अवधार्य बिन्दु यह कि परिवादी प्रश्नगत् चैक का सम्यक अनुक्रम धारक है, और प्रश्नगत चैक अभियुक्त ने हस्ताक्षरित कर परिवादी को प्रदान किया, को अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में परिवादी पक्ष सफल रहा है।

15. द्वितीय अवधार्य बिन्दु यह अवधारित किया गया है कि क्या परिवादी ने विहित परिसीमा अवधि के भीतर प्रश्नगत चैक को अपने खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित हो गया ?

उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में परिवादी द्वारा अपने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त ने परिवादी को अपने बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर में स्थित का एक चैक सं0 261046, मु0 1,45,000/-रूपये, दिनांकित 10.09.2021 का अपने हस्ताक्षर करके परिवादी से लकड़ी का क्रय किये जाने के संबंध में प्रदान किया। परिवादी द्वारा उक्त लकडी अभियुक्त को प्रदान की गयी। उक्त चैक को परिवादी द्वारा अपने बैंक, अल्मोड़ा अर्बन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सितारगंज में भुगतान हेतु जमा कराया। जो कि अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण दिनांक 07.10.2021 को अनादरित परिवादी को प्राप्त हुआ।

उक्त चैक संख्या 261046 व उक्त चैक के अर्प्यात निधी की टिप्पणी के साथ अनादरण मैंमो दिनांकित 06.10.2021 पत्रावली पर संलग्न है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत चैक के अनादरण के सम्बन्ध में परिवादी के बैंक, अल्मोड़ा अर्बन को आपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सितारगंज द्वारा प्रदत्त रिर्टन मैमो है, जिसमें Funds Insufficient टिप्पणी के साथ चैक संख्या 261046, मु0 1,45,000/-रूपये, दिनांकित 10.09.2021 का अनादरण होना दर्शित किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा चैक प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया। वैसे भी वर्तमान में चैक की वैद्यता रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया के मानक सिंद्धान्तों के अनुसार तीन माह है। परिवादी द्वारा प्रदत्त प्रश्नगत चैक जो पत्रावली पर संलग्न है 10.09.2021 का दिनांकित है, यदि चैक पर वर्णित दिनांक के अनुसार भी विहित परिसीमा की गणना कि जाये तो चैक का विहित परिसीमा काल तीन माह के अन्तर्गत अर्थात 10.12.2021 होगा। परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक अपने खाते में पेश किया गया जो कि अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण दिनांक 06.10.2021 को अनादृत हो गया व अनादरित रसीद के साथ दिनांक 07.10.2021 को परिवादी को प्राप्त हो गया। अतः स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत चैक विहित परिसीमा के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया गया और बैंक को प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब कारित नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में **पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 146** यह प्रावधानित करती है-

<u>धारा 146 बैंक की पर्ची कतिपय तथ्यों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य-</u> न्यायालय, इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही से सम्बन्ध में, बैंक पर्ची या ज्ञापन के, जिस पर यह निर्दिष्ट करते हुए शासकीय चिन्ह हो कि चैक का अनादर किया गया है, पेश करने पर, ऐसे चैक के अनादरण के तथ्य की उपधारणा करेगा, यदि और जब तक ऐसा तथ्य नासाबित नहीं हो जाता।

प्रस्तुत मामले में परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिर्टन मैमो पत्रावली पर सलंग्न है। उक्त रिर्टन मैंमो पर

परिवादी के बैंक को ओपरेटिव लि0 अल्मोड़ा शाखा सितारगंज, उधम सिंह नगर की सील मोहर भी अंकित है। अभियुक्त द्वारा उक्त रिर्टन मैंमो व उक्त रिर्टन मैंमो पर परिवादी की सील मोहर कोई खण्डन नहीं किया गया है। जिस आधार पर भी यह साबित होता है कि परिवादी ने प्रश्नगत चैक विहित परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया था जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादृत हो गया था।

अतः उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में द्वितीय अवधार्य बिन्दु यह कि परिवादी ने प्रश्नगत चैक विहित परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया था जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण अनादृत हो गया था, को अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में परिवादी पक्ष सफल रहा है।

16. तृतीय अवधार्य बिन्दु यह अवधारित किया गया है कि क्या चैक अनादरण के पश्चात परिवादी ने अभियुक्त को नोटिस दिया, अभियुक्त द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त किया गया, और उक्त नोटिस की तामीली होने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को चैक में उल्लेखित धनराशि का धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 में वर्णित विहित परिसीमा के अन्तर्गत संदाय नही किया गया ?

इस सम्बन्ध में परिवादी ने अपने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि परिवादी ने अभियुक्त को प्रश्नगत चैक के अनादरण की सूचना अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिनांकित 20.10.2021 को भेजी। उक्त नोटिस अभियुक्त को 22.10.2021 को प्राप्त हो गया। परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में अभियुक्त को उक्त चैक अनादरण के संबंध प्रेषित नोटिस दिनांकित 20.10.2021, उक्त नोटिस रजिस्ट्री किये जाने की रसीद व ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। उक्त ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त को भेजा गया नोटिस दिनांक 22.10.2021 को प्राप्त हो गया।

अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 व 313 सी0आर0पी0सी में यह स्वीकृत किया गया है कि अभियुक्त को परिवादी द्वारा चैक अनादरण के संबंध में भेजा गया नोटिस दिनांकित 20.10.2021 प्राप्त हुआ था।

अतः कहा जा सकता है तृतीय अवधार्य बिन्दु यह कि चैक अनादरण के पश्चात परिवादी ने अभियुक्त को नोटिस दिया, उक्त नोटिस की जानकारी/विधिक रूप से तामिली पर्याप्त होने के बावजूद अभियुक्त ने परिवादी को चैक में उल्लेखित धनराशि का धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 में वर्णित विहित परिसीमा के अन्तर्गत संदाय नही किया गया, को अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में परिवादी पक्ष सफल रहा है।

17. चतृर्थ अवधार्य बिन्दु यह अवधारित किया गया है कि क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के लिये दिया गया था ?

इस सम्बन्ध में परिवादी ने अपने परिवाद एवं साक्ष्य शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से साल चिरान लकड़ी क्रय किये जाने हेतु उक्त चैक संख्या 261046 दिनांकित 10.09. 2021 रूपये मु0 1,45,000/रू परिवादी को दिया गया था। परिवादी द्वारा उक्त लकड़ी अभियुक्त को दिनांक 03.10.2021 को प्रदान की गयी लेकिन अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रदत्त चैक परिवादी द्वारा अपने बैंक पर लगाने पर दिनांक 07.10.2021 को धन अपर्याप्त होने के कारण अनादरित होकर परिवादी को प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में परिवादी ने अभियुक्त को दिनांक 20.10.2021 को नोटिस प्रेषित किया, जो कि दिनांक 22.10.2021 को अभियुक्त को प्राप्त हो गया, जिसके पश्चात भी अभियुक्त ने परिवादी को

उक्त धनराशि अदा नहीं की।

परिवादी ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में भी इसी आशय का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षरयुक्त चैक व परिवादी बैंक अल्मोड़ा अर्बन को आपरेटिव बैंक का अनादण मैंमो पत्रावली पर संलग्न है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र सी0डब्ल्यू–01 व इकबाल का साक्ष्य शपथ पत्र सी0डब्ल्यू0–02 प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्षीगण से सी0डब्ल्यू0–01 व सी0डब्ल्यू0–02 से प्रतिपरीक्षा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी। परिवादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन में बिल व जी0एस0टी नम्बर भी प्रस्तत किये हैं, जो पत्रावली पर संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0, 1973 व 313 द0प्र0सं0, 1973 मे यह स्वीकृत किया गया कि अभियुक्त ने परिवादी को उक्त चैक भवन निमार्ण कार्य हेतु परिवादी से ली गयी लकड़ी के संबंध में दिया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0, 1973 व 313 द0प्र0सं0, 1973 मे यह भी कथन किया है कि परिवादी द्वारा जो लकड़ी भेजी गयी थी। उक्त लकड़ी की गुणवक्ता सही ना होने के कारण उक्त लकड़ी वापस भिजवा दी थी।

अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0, 1973 में कोई साक्ष्य प्रस्तुत ना करने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 251 द0प्र0सं0, 1973 व 313 द0प्र0सं0, 1973 मे जो कथन किये गये हैं उनके समर्थन में कोई भी बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा ऐसा भी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे की अभियुक्त के उक्त कथन कि ''परिवादी द्वारा प्रेषित लकड़ी की गुणवक्ता सही नहीं थी'' का समर्थन होता हो। अभियुक्त द्वारा इस संबंध में ऐसा भी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिससे कि यह दर्शित हो सके अभियुक्त ने परिवादी के विरूद्ध लकड़ी की गुणवक्ता सही ना होने के संबंध में कोई विधित कार्यवाही योजित की हो।

18. इस सम्बन्ध में **पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 118 (क) व धारा 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881** के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है–

<u>धारा 118 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 –</u> पराक्रम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं– जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगी–

<u>(क) प्रतिफल के विषय में –</u> यह कि हर एक पराक्रम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो, तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी,

<u>धारा 139– धारक के पक्ष में उपधारणा–</u> जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि चैक के धारक ने वह चैक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

इस प्रकार धारा 118 (क) व धारा 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में अभियुक्त के विरूद्व न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत चैक को परिवादी के प्रति किसी विधिक ऋण या दायित्व के प्रतिफल के रूप में या स्वयं के किसी विधिक ऋण या दायित्व के प्रयोजनार्थ दिया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा K.N. Beena vs Muniyappan And Another A.I.R, 2001 S.C. 2895 on 18 October, 2001 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि चैक किसी

विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन में जारी नहीं किया गया है, को साबित करने का भार अभियुक्त के ऊपर है।

19. धारा 118 (क) व धारा 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 में दी गई उपधारणा खण्डनीय उपधारणा है। उपरोक्त खण्डनीय उपधारणाओं का सबूतों के द्वारा खण्डन किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

Hiten P. Dalal vs Bratmdranath Banerjee (2001)6 S.C.C. 16 on 11 july, 2001 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 118 व धारा 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत प्रदत्त की गई उपधारणाओं का सबूतों के द्वारा खण्डन किया जा सकता है मात्र एक साधारण स्पष्टीकरण से नहीं।

उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों से यह स्पष्ट है कि धारा 118 (क) व धारा 139 पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के आलोक में अभियुक्त के विरूद्व न्यायालय द्वारा यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत चैक को परिवादी के किसी विधिक ऋण या दायित्व के प्रतिफल के रूप में या स्वयं के किसी विधिक ऋण या दायित्व के प्रयोजनार्थ दिया था। उक्त उपधारणा को खण्डन किये जाने का भार अभियुक्त पर होता है जिसे अभियुक्त द्वारा मात्र स्पष्टीकरण से ही नहीं सबूतों से खण्डन किया जा सकता है।

उपरोक्त मामले में परिवादी द्वारा अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से यह साबित किया गया है कि अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के सम्बन्ध में जारी किया था।

अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि परिवादी का अभियुक्त पर विधिक ऋण या दायित्व नहीं था।

उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में चतुर्थ अवधारित बिन्दु यह कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रश्नगत चैक विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के लिये दिया गया था, को अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में परिवादी पक्ष सफल रहा है।

20. परिवादी द्वारा मूल चैक न्यायालय में प्रस्तुत किया जो कि पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। बैंक का रिर्टन मैमो है जिससे यह स्पष्ट है कि उल्लेखित धनराशि का भुगतान अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने के कारण नहीं हो पाया। उक्त प्रश्नगत चैक के अनादरण के सम्बन्ध में परिवादी ने अभियुक्त को विधिक नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया जो कि पत्रावली संलग्न है। उक्त विधिक नोटिस परिवादी के सही पते पर प्रेषित किया गया, इसकी डाक रशीद भी पत्रावली पर संलग्न है। उक्त भेजे गये नोटिस की नेट ट्रेक रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त को विधिक नोटिस की पर्याप्त तामीली हुई। अभियुक्त द्वारा भी स्वंय स्वीकृत किया गया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को चैक दिया गया व अभियुक्त को नोटिस मिला। अभियुक्त द्वारा चैक पर अपने हस्ताक्षरों को भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 251, 313 सी0आर0पी0सी0 में अस्वीकार नहीं किया है। चैक के अनादरण संबंधी जानकारी/नोटिस की विधिक रूप से पर्याप्त तामीली होने के पश्चात भी अभियुक्त द्वारा धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 में वर्णित विहित परिसीमा के अन्दर चैक की

धनराशि परिवादी को प्रदान नहीं की। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद दिनांक 10.12.2021 को मय परिवाद में हुई विलम्ब की माफी के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 142 एन0आई0 एक्ट प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2022 को स्वीकृत किया गया।

21. धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने के लिये विरचित समस्त अवर्धाय बिन्दुओं को परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्व युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है।

उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में अभियुक्त के विरूद्व अधिरोपित अभियोग अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। या

इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि–उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के मत में अभियुक्त के विरूद्व अधिरोपित अभियोग अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में परिवादी पक्ष सफल रहा है।

22. अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह को उसके विरूद्व अधिरोपित अभियोग अन्तर्गत धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 में दोष–सिद्ध किया जाता है। दोष सिद्ध जमानत पर है तथा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं। उसके जमानतीयों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोष सिद्ध अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली समय **3:00 पी0एम0** पर पेश हो।

दिनांक–14.11.2025

(आशीष तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज
खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।

<u>दिनांक 14.11.2025</u>
<u>समय 3:00 पी0एम0</u>

दोष सिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह न्यायिक अभिरक्षा मे न्यायालय में उपस्थित है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व दोषसिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

परिवादी की ओर से कहा गया कि उक्त वाद वर्ष 2022 से लंबित है अभियुक्त को चैक में वर्णित धनराशि की दोगुनी धनराशि से व 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाये।

दोष सिद्ध अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि: उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त परिवाद वर्ष 2022 से लंबित है। अभियुक्त के विरूद्व कोई पूर्व आपराधिक इतिहास परिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न्यायालय के मत में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

आदेश तद्नुसार–

आदेश

अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह को पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध करते हुए 1 (एक) वर्ष के साधारण कारावास की सजा से एवं मु0 ₹1,90,000/– (एक लाख नब्बे हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त अर्थदण्ड की धनराशि मु0 ₹1,90,000/– (एक लाख नब्बे हजार रूपये) में से मु0 ₹1,85,000/– (एक लाख पिचासी हजार रूपये) परिवादी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 (1) के प्रावधान के अनुसार बतौर प्रतिकर के रूप में अदा किया जाए तथा मु0 ₹5,000/– (पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड राजकोष में जमा किया जाये। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर दोष–सिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह को 6(छः) माह का अतरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह द्वारा पूर्व में प्रश्नगत मामले में बितायी गयी सजा (यदि कोई हो) उक्त सजा में समायोजित की जाये।

तद्नुसार दोषसिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह का सजायावी वारण्ट अविलम्ब तैयार कर उसे सजा भुगतने हेतु उप कारागार हल्द्वानी जिला नैनीताल भेजा जाये।

दोष–सिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में व्यक्तिगत् बन्ध पत्र एवं जमानतनामें प्रस्तुत किये गये हैं। दोष–सिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं जमानतनामें अगले छः माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेगें। इस दौरान यदि माननीय अपील न्यायालय में अपील योजित नही की जाती है तो उसका उपरोक्त व्यक्तिगत बन्ध पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्त निर्णय की एक प्रति धारा 363(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में दोष–सिद्ध अभियुक्त योगेन्द्र कुमार सिंह को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक–14.11.2025

(आशीष तिवारी)
न्यायिक मजिस्टेट/अपर सिविल जज
खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–14.11.2025

(आशीष तिवारी)
न्यायिक मजिस्टेट/अपर सिविल जज
खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।

APPENDIX OF THE EVIDENCE
(ANNEXURE-1)
FORM-C
LIST OF PROSECUTIONCOMPLAINANT/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution/Complaint

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESSES, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESSES, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
PW1/ CW1	Ashok Kumar	Complainant
PW2/ CW2	Iqbal	Complainant Witness

B. Defence Witnesses, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESSES, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESSES, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
		Nil

C. Court Witnesses, if any:
No Witness

LIST OF PROSECUTION DEFENCE/COURT EXHIBITS

(ANNEXURE-2)

A. Prosecution
Nil

B. Defence
Nil

C. Court Exhibits
No Exhibits

D. Material Objects:
No Material Objects

(आशीष तिवारी)
न्यायिक मजिस्टेट/अपर सिविल जज
खटीमा, जिला उधम सिंह नगर।